

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/(लिंक नं. 12500/2013)/अलेसे-III/3310 दिनांक:- 09/05/2024

कार्यालय आदेश...116.../2024

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16849/2023 प्रदीप कुमार जोशी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 द्वारा श्री प्रदीप कुमार जोशी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये हैं। श्री प्रदीप कुमार जोशी ने माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 06.02.2024 की पालना में कोई नया अभ्यावेदन विभाग में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः श्री जोशी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में चाहे गये अनुतोष एवं समय-समय पर विभाग में प्रेषित पत्रों को अभ्यावेदन मानते हुए निस्तारण किया जाता है।

श्री प्रदीप कुमार ने विभाग में सीधे ही अथवा वित्त (राजस्व) विभाग अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग के मार्फत पत्र दिनांक 22.09.2019, 12.10.2019, 20.10.2019, 19.02.2020, 24.08.2020, 04.09.2020, 10.09.2020, 29.09.2020, 05.10.2020, 10.11.2020, 04.01.2021, 10.03.2021, 18.10.2023 एवं माननीय न्यायालय में दायर उक्त याचिका के अनुसार निम्नानुसार अनुतोष चाहे हैं।

1. श्री युधिष्ठिर कुमार कनि. लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, बाडमेर के विरुद्ध पद का दुरुपयोग/राजकोष की हानि पहुंचाने के क्रम में आवश्यक कार्यवाही।
2. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत श्री युधिष्ठिर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः श्री युधिष्ठिर को निलम्बित किया जावे।
3. श्री युधिष्ठिर कुमार को फिल्ड पोस्टिंग से हटाया जावे।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बाडमेर के पत्र दिनांक 20.11.2023 द्वारा श्री युधिष्ठिर कुमार, कनि. लेखाकार पंचायत समिति, सेडवा के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार चाहे गये अनुतोष के क्रम में बिन्दुवार विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

1. श्री युधिष्ठिर कुमार कनि. लेखाकार को कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, बाडमेर में कार्यरत के दौरान पद का दुरुपयोग/राजकोष की हानि पहुंचाने के क्रम में विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.02.2021 द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। ज्ञापन जारी करने की सूचना विभागीय पत्र क्रमांक 401 दिनांक 26.03.2021 द्वारा श्री प्रदीप कुमार जोशी को प्रेषित की गई थी।

2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पत्र दिनांक 10.08.2022 के मार्फत श्री प्रदीप कुमार जोशी द्वारा श्री युधिष्ठिर कुमार, कनि. लेखाकार कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान, बाडमेर के विरुद्ध की गई पद के दुरुपयोग/राजकोष की हानि आदि के संबंध में जाँच प्रारम्भ करने के लिए धारा 17-ए, शिकायत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत पूर्वानुमोदन चाहा गया था। प्रत्युत्तर में विभागीय पत्र दिनांक 07.09.2022 द्वारा जाँच हेतु अनुमति प्रदान की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न तो जांच के निष्कर्ष से अब तक अवगत कराया गया है न ही अभियोजन हेतु स्वीकृति चाही गई है। अतः अभियोजन स्वीकृति जारी ही नहीं की गई है। अतः इस आधार पर श्री युधिष्ठिर को निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार श्री युधिष्ठिर के स्थायीकरण आदेश भी उनके तत्कालीन कार्यालय द्वारा किये गये अनुरोध पर संतोषप्रद सेवा के प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया है। अतः स्थायीकरण को निरस्त किये जाने का कोई उपयुक्त आधार नहीं है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के अनुसार प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना एवं कार्मिक के विरुद्ध उक्त प्रकरण में पूर्व से ही सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने आदि को ध्यान में रखते हुए श्री युधिष्ठिर को अब निलम्बित किया जाना अनुचित है।
3. श्री युधिष्ठिर कुमार का स्थानान्तरण विभागीय आदेश दिनांक 07.10.2023 द्वारा कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बाडमेर से कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, बाडमेर (फिल्ड पोस्टिंग नहीं) किया जा चुका है। इस बाबत श्री प्रदीप कुमार जोशी को विभागीय पत्र दिनांक 17.11.2023 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।
4. श्री युधिष्ठिर के विरुद्ध पंचायत समिति, सेडवा (बाडमेर) में कार्यरत रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। परन्तु प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रारूप 'अ' 'ब' 'स' 'द' प्राप्त नहीं हुए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बाडमेर द्वारा प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव में नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र 'अ' 'ब' 'स' 'द' प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त प्रपत्र भिजवाने हेतु विभाग द्वारा पत्र दिनांक 09.05.2023 प्रेषित किया गया है। निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने पर श्री युधिष्ठिर कुमार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार श्री युधिष्ठिर को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बाडमेर के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत के क्रम में चार्जशीट जारी की गई है एवं जांच जारी है। अतः अब इस पर कोई नई कार्यवाही इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है। वही स्थायीकरण आदेश को भी तत्कालीन सेवा संतोषप्रद एवं अन्य मापदण्ड के आधार पर तत्कालीन नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसे पश्चात्वर्ती चार्जशीट के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार श्री युधिष्ठिर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निवेदन पर तत्काल जांच हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इस आधार पर निलम्बित किया जाना उचित नहीं है, विशेष रूप से जब अभी जांच के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए हैं एवं न ही अभियोजन स्वीकृति चाही गई है। जहां तक पंचायत समिति, सेडवा में इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का बिन्दु है, वह अभी प्रक्रियाधीन है। तथा

इसमें कुछ प्रक्रियात्मक कभियां है, जिन्हे संबंधित विभाग से पूर्ण करवाया जा रहा है। जिसके बाद इस प्रकरण में भी चार्जशीट जारी की जा सकेगी। चूंकि श्री प्रदीप कुमार जोशी द्वारा श्री युधिष्ठिर के विरुद्ध उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर इस विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। अतः उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई प्रार्थना एवं इस विभाग को प्रेषित समस्त शिकायत पत्रों/अभ्यावेदन में उठाये बिन्दुओं का एतद् द्वारा निस्तारण किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/(लिंक नं. 12500/2013)/अलेसे-III/3310 दिनांक:- 01/05/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा, परिषद, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशासन/विधि अनुभाग।
5. उप निदेशक, जांच अनुभाग।
6. श्री प्रदीप कुमार जोशी, जिलाध्यक्ष, राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ, जिला शाखा बाडमेर (रजिस्टर्ड)।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री युधिष्ठिर कुमार, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बाडमेर।
10. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


(कृष्ण प्रताप सिंह)
उप निदेशक (कार्मिक-II/III)